

# कार्यालय नगर परिषद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 88

दिनांक : 16/1/15

प्रेसित,

(1) मृ० दयाल गिल्डरी

पौ० श्री गुरुनंद्र पाल रिंड पिता रंग रारदार गुरुनंद्र पाल रिंड (भूर्यामी)  
Gouri Shankar Road, Jugsalai P.O & P.S-Jugsalai, Jamshedpur.

(2) श्री लखी कान्ता दास पिता रंगो परान दास (भूर्यामी)

बड़ा गम्हरिया

विषय : संशत नवका पारित करने के बाबत है।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्लॉट सं० (नया) 539 (A to D) 540,541,542,543 (A,B) (पुराना) 389,390,391 याता सं०. (नया) 949,880 (पुराना) 382,578,579 मौजा : बड़ा गम्हरिया थाना सं० ०६ कुल रक्का 31.53 ली० वार्ड नं० पुराना 11 ५०एम०री० होल्डीग नं० ८१/१४-१५ पर भवन निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूमि के जाँच के क्रम में प्ररतावित भूखण्डों के बारे में अंवताविधारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 1334 दिनांक 24.11.2014 एं पत्रांक 56 दिनांक 16.01.2014 आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 1013/एडीए दिनांक 29.12.2014 एं कार्य पालक अधियंता आवास गोर्ड के द्वारा पत्रांक 1687 दिनांक 04.12.14 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड औडेया कर्नीय अधियंता द्वारा किया गया है। यावित राशि और लेवर रेस जामा कर दी गई है। इस भवन प्लान के अनुज्ञापिधारी अधियंता अनुज रंजन जिनका निवालन सं० AMC-E/33 है। जिमीन के कागजात कि जाँच श्री मंगल चन्द्र माण्डी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानवित्र की जाँच, खल जाँच एं तकनीकी जाँच श्री बलीराम पापडेय सहायक अधियंता (संविदा पर नियुक्त) श्री कैलाश मिश्री (लघु सिवाई पमंडल से प्रतिनियुक्त) एं श्री डेविड औडेया कर्नीय अधियंता नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा जांचोपरान्त भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी, गम्हरिया, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एं कार्यपालक अधियंता आवास गोर्ड का जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलरखरूप Basement (Parking) & Lower Ground (Parking + 39.29 M<sup>2</sup> Commercial) + Ground Floor to 1<sup>st</sup> Floor (Commercial) & 2<sup>nd</sup> Floor to 6<sup>th</sup> Floor (Residential) के भवन प्लान की औपचारिक रीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

- भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एं रखताविकार गलत है तो यह आदेश रखत निररत माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी रतर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुनिश्चित रहेगा।
  - भवन प्लान की रखीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भुमि पर भू - रखामित्व का प्रमाण रखापित नहीं होगा।
  - भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड एप्टीमेंट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत खामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा स्क्राम प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरान्त ही यह आदेश गांय होगा।
  - रखीकृत भवन मानवित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे यिना विवित रखीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में विटिंग बॉल्डोंज के अनुराग उक्त गवन अपसारित किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिधारी अधियंता जो इस कार्य को कर रहे हैं, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
  - भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-रखामी तथा अनुज्ञापिधारी अधियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनका दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे रखीकृत भवन प्लान में राशोधन करेंगे।
  - निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विशिष्टों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एं संरचना के सही रूपांकरण एं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिधारी अधियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
  - भवन निर्माण में भवन के आगे 4.57 मी० पीछे 4.57 मी० दाहिने तरफ 4.55 मी० तथा बाये तरफ 5.45 to 6.37 मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा होगा तथा गवन की ऊँचाई रखीकृत 21.17 मी० Ground Coverage 41.15 %, F.A.R 1.80 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एं रिस्टम का प्रावाना रखत आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैक, गूमि, नारपालिका के पक्षिक रेट्रोट के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैय होगा। नियमानुसार म्युनिसिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा।
  - सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रत्यावित भुमि तथा सकान का उत्तित मुआवजा भु० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत गुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवास गोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सङ्कृत तथा भवन रथल के बीच पड़ने वाले गूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो स्क्राम प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण राजकीय पर्यावरण एं तथा हवाई सुरक्षा, संबंधी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपरावधि करना अनिवार्य होगा।
  - नगर परिषद के निर्देशनुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवरण सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली रो भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिधारी अधियंता का होगा। चूंकि यह एक बहुत संरचना है अतः यहां मान सार्वजनिक नाली तक विवित नियमानुसार नाली की व्यवरण आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Severage Plant रथापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवरण करना आवश्यक होगा।
  - जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर रखीकृत्यादेश रखत निररत माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुद्दित जल आपूर्ति की व्यवरण रायां करनी होगी परन्तु अपील घोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की ऐक्षिक व्यवरण करनी है। औपील घोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवरण उनके द्वारा की जायेगी।
- (A)Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D
- भुखण्ड के सामने चाहरावीरा का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवरण, पेवरेट का निर्माण तथा ऐड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एनावी०सी० दिशानिर्देश तथा मानवीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
  - निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूधना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लाई/गूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा। अनुज्ञापिधारी अधियंता के स्तर से कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन 2 माह के अन्तराल पर जमा करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर यह रखीकृति रद्द कर दिया जायेगा।
  - निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवरण करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की ऐक्षिक व्यवरण के रूप में ध्वनि एं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।

14. अनिश्चल विद्युत के पत्रांक 451 दिनांक 21.11.14 के द्वारा दिये गये निरेशों का अनुपालन करना होगा। राष्ट्रीय नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्माण परिषदों के द्वारा कोई विशेष निरेश प्राप्ति दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अनिश्चल सुविधाएं ऐनी होती रहती हैं। Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय नियम निर्माण कार्य कार्य करना अनिवार्य होगा।
15. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्राक्षयन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा यथा इसकी रूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय नियम प्रासारण के लिए निरेशों के अनुलूप काग रो कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार निहित प्रपत्र गें आवश्यक प्राप्ति के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यिनी Occupancy Certificate के भवन राष्ट्रीय उत्तरांश का प्रयोग न रो मू-रगारी एवं बिल्डर कर्म्मी तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/ग्रेनों को इसकी दखल देंगे।
17. निर्माणकर्ता/संकरन/स्थलधारी की ज्ञारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पार्सद थोड़े में बिल्डिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुरक्षात सरकारी अधिनियमों/परिषदों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय योग्य उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिपट, उरटपीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। राष्ट्रीय धारा 427(v) यदि लागू होता है तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। भवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो राङ्क पर, राङ्क के उपर सुलता हो।
18. भवन की दूरी गारीती इलेक्ट्रिक रूल का अनुपालन करते हुए योलेज लाईन रो न्यूनतम दूरी का प्राक्षयन रखना अनिवार्य होगा।
19. निर्माण रथल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, बिल्डर का नाम, पूर्ण पता एं दूरगाम 30, प्लॉट का सेक्टरफल, स्लॉट में कुल निर्मित थेक्टफल, नगर परिषद द्वारा नवशा रखीकृत करने की विधि एं गवन रथल संचया, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि एं प्लॉट रखीकृत गवन प्लान का नवशा बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा जिसमें नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा रखीकृत Front Set back, Rear Setback, Both side's setback, car parking, Basement, Lift, Fire Fighting system, पेंजल एंव आपूर्ति के लिए की गयी व्यवस्था (कुल जल की आवश्यकता एं जल आपूर्ति के लिए लगाये जाने वाले संयंत्रों/उपरकरों के विवरण सहित) रपट रूप से प्रदर्शित करनी होगी साथ ही फ्रेटो को रखीकृत गवन प्लान की अग्रिमापूर्ति प्रति उपलब्ध करानी होगी।
20. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
21. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को ज्ञारखण्ड आपर्टमेंट रापति विनियम एवं रक्षामित अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधाओं निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
22. मानवीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विधिवित भूमि/सरकारी भूमि/आदित्यपुरी खाता अवश्य वैरी अन्य भूमि जो भवन निर्माण हेतु वर्जित हो भूमि आदि पर किसी भी हालत में गवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु राशग न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द गाना जाएगा।
23. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के रवत्वाधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुरक्षात प्रावधानों का अनुपालन किये विना हरतांतरण, पहुंच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वत रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार राशग प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की विधिमें यह अनुमति रखते रद्द माना जायेगा। सरकारी/रेयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार थेट्र में उत्पन्न होने पर रखीकृत्यादेश रखते निरस्त साझा जायेगा।
24. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति रवयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि अपके द्वारा तथ्यों को छपाकर भवन संबंधित परिमित प्राप्ति करना किया गया है तो विना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निररत कर देंगे।
25. गविष्य में सरकार द्वारा या मानवीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिषेष्य आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उनके द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा एवं यह रखीकृत्यादेश रखते निररत हो जायेगा।
26. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
27. सेवाकार एंव वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशी राशग प्राधिकार को जगा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
28. परिमित निर्माण के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की विधिमें पून अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय धारा 15.1.15 अगर उक्त लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उसके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
29. भवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपरांतप्रति करना अनिवार्य होगा।
30. भवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापत्रियारी अधिकारी को घबला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्राप्ति पत्र जामा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संबंध द्वारा वित्ती संपेषण से पूर्व अपने रत्त से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्ती घटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर रखीकृत्यादेश विना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माण के लिए नगर परिषद, आदित्यपुर की दावा मात्र नहीं होगा।

ज्ञापांक 88  
प्रतिलिपि : अनुज रंजन अनुज्ञापत्रियारी अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि ज्ञारखण्ड म्यूनिसिपल एवट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासारण

कनिय अधिकारी  
सहायक अधिकारी

सहायक अधिकारी  
नगर परिषद, आदित्यपुर

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, आदित्यपुर  
दिनांक 16.1.15

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, आदित्यपुर  
दिनांक 16.1.15